मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मा नम्बर :– 138/2017

उनवान

जाकिर हुसैन बनाम अब्बास वगै0

दावा बाबत :– विभाजन घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :– 22.03.2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महीपाल सिंह कपूरिया, प्रतिवादी की ओर से श्री कुमार जीए उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 22.03.2022 को श्री शैलेश खैरवा, खण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर डिक्री की जाती है कि वाद सिद्ध होने पर गत ख.नं. 24/338 रकबा 2 बीघा 4 बिश्वा पुख्ता के हाल ख.नं. 34 0.28 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की 0.20 हैक्टर का मौका पर कब्जा काश्त (विक्रय पत्र हक–हदूद) के अनुसार वाके ग्राम नूंआ तहसील मंडावा व जिला झुन्झुनूं में स्थित कृषि का पृथक से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबंदी बदस्तुर ी। तहसीलदार मंडावा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में ल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनाम	05 46	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी दावा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनाम मुतफरिक	26
योग	51		26

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी